Legal Express An International Journal Of Law **ISSN 2394-465X**
Vol.VI, Issue-II June 2020

कोविड-19 में पुलिस की भूमिका और विधिक प्रावधान

डॉ. जनार्दन कुमार तिवारी*
युवराज खरे**

सारांश

कोविड-19 महामारी से न केवल भारत परेशान है बल्कि पूरा विश्व मानव परेशान दिख रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। जिसके चलते विश्व भर में लगभग सभी देशों ने इस महामारी से बचाव के लिए तालाबंदी की है। और लोगों को अपने-अपने घरों में रहने की हिदायत भी दी है। इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए कोरोना वॉरियर्स (डॉक्टर, नर्स, पुलिस व समाजसेवी) अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं। पर वहीं कुछ लोग कोरोना वॉरियर्स के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं या इस कोरोना महामारी को फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को कानून द्वारा दण्डित किये जाने का भी प्रावधान है। आवश्यकता है तो अपने आप को क्वारन्टीन करने की। इससे बचाव के लिए "घर पर रहें, सुरक्षित रहें" मूलमंत्र दिया गया है।

बीजशब्द : कोविड-19, क्वारन्टीन, कोरोना वॉरियर्स, अधिनियम

प्रस्तावना

कोविड-19 महामारी के प्रकोप से बचने के लिए सभी लोग समुदाय अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष करते नज़र आ रहे है न केवल जीवन बचाना जरूरी है बल्कि साथ में जीविका को भी बचाने की कोशिशे की जा रही है।

कोविड-19 महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है ज्यादातर देशो में इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए तालाबंदी / लॉकडाउन कर महामारी पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है, भारत भी तालाबंदी से अछूता नहीं है।

* सहायक प्राध्यापक (विधि) विधि संस्थान, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

** शोधार्थी (विधि) विधि संस्थान, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संपूर्ण मानव जाति के समक्ष इस महामारी का संकट है शायद यह पहली बार हो रहा है कि इंसान खुद अपने-अपने घरो में कैद होने को मजबूर है। ऐसा इसलिए है कि सर्वप्रथम व्यक्ति स्वास्थ्य को अधिक महत्व दे रहा है। ठीक /सही रखना है व्यक्तिगत स्वास्थ्य से समाज जुड़ा है और समाज से व्यक्ति और व्यक्ति से हम जुड़े है। स्वास्थ्य व्यक्तिगत न हो कर सामाजिक हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी कुछ बढ़ जाती है। हमें न केवल अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को देखना है अपितु समाज के संपूर्ण लोगो के स्वास्थ्य को भी देखना है। जिससे हमारा परिवार समाज जीवन और देश सीधा प्रभावित होता है। कोविड-19 महामारी सीधे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। स्वास्थ्य देश की समृधि और विकास को निर्धारित करने का एक आधार हो सकता है। कोरोना (कोविड-19) महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन जैसे सुरक्षित उपाय के बावजूद कोविड-19 के मरीजो की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है साथ ही साथ लॉकडाउन में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवायें लोगों की आवश्यकताओं पर हम सोचने को मजबूर हो जाते है। सबसे पहले भारत में कोविड -19 का मरीज 30 जनवरी 2020 को केरल में पाया गया। सर्वप्रथम कोविड-19 महामारी का वायरस चीन के वुहान शहर से निकलकर यूरोप अमेरिका सऊदी अरब इटली पाकिस्तान भारत सहित सैकडों देशो को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इस महामारी में अब तक लाखों लोगों की जानें जा चुकी है। और दिन- प्रतिदिन यह आँकड़ा बढ़ ही रहा है।

कोरोना का अर्थ

यह विषाणुओं का एक समूह है। इस वायरस को माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके इर्द-गिर्द कांटे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। यह मुकुट जैसा लगता है। लैटिन भाषा में कोरोना मुकुट को कहते हैं। यही वजह है कि इस वायरस का नाम कोरोना रखा गया। यह वायरस पहले जानवरों और पक्षियों में फैलता है और उनसे सांसों के जरिए मनुष्यों में भी इसका संक्रमण हो जाता है। यह चीन के वुहान शहर के सीफूड मार्केट से पहली बार फैला।

क़्वारन्टाइन / क़्वारन्टीन शब्द कैसे आया

क़्वारन्टाइन (quarantine) शब्द वेनेशियन भाषा के शब्द 'quarantena' (क़्वारन्टेना) से आया है। इसका अर्थ 40 दिन होता है। 1348- 1359 के दौरान प्लेग से यूरोप की 30 फीसदी आबादी मौत के मुँह में समा गई थी। इसके बाद 1377 में क्रोएशिया ने अपने यहाँ पर आने वाले जहाजों और उन पर मौजूद लोगों को एक द्वीप पर 30 दिनों तक अलग रहने का आदेश जारी किया था। जब तक ये तीस दिनों तक था तो उसको ट्रेनटाइन कहा जाता था, जब ये 40 दिनों का हुआ तो इसको क़्वारन्टाइन कहा जाने लगा था। यहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति भी हुई। 40 दिनों के क़्वारन्टाइन का असर उस वक्त साफ दिया था और प्लेग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था। उस समय प्लेग के रोगी की लगभग 37 दिनों के अंदर मौत हो जाती थी।

क़्वारन्टीन का जिक्र 7वीं शताब्दी में लिखी गई किताब में भी मिलता है। इसको लेविटिकस (Biblical book of Leviticus) ने लिखा था। इसमें बीमार व्यक्ति को दूसरों से अलग करने का जिक्र किया

गया है। इस किताब में शरीर पर सफेद दाग उभरने पर बीमार व्यक्ति को सात दिनों के लिए अलग कर दिया जाता था। सात दिनों के बाद मरीज की जांच की जाती थी यदि इस दौरान उसमें कोई फायदा न होने पर उसको दोबारा 7 दिनों के लिए अलग रखा जाता था।

14 वीं सदी में इटली के वेनिस में बंदरगाहों पर जहाज़ों को 40 दिन के लिए रोका जाता था ताकि शहर में प्लेग न फैले।

इतालवी में 40 दिन होने को ही 'quaranta giorni' (क्वारन्टा जियोर्नी) कहते हैं, इसी से शब्द 'quarantine' (क्वारन्टीन) आया है।

कौन कर सकता है होम क्वारंटाइन?

जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के संपर्क में आया हो या जिसे सर्दी-खांसी-बुखार के लक्षण दिखने पर शक हो रहा हो वे घर पर अपने आप को अलग कर सकते हैं। कोरोना वायरस के लक्षण सामने आने में 14 दिन लग रहे हैं, ऐसे में अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपके संपर्क में आने से सैकड़ों लोग बीमार हो सकते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड 19 को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इसके लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है। लक्षणों को पहचानकर ही कोरोना वायरस को काबू में किया जा सकता है।

कोरोना वॉरियर्स

'कोरोना वॉरियर्स' से अर्थ सैनिटेशन वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, आशा वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ आदि से है। ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर देश की जनता को कोरोना वायरस महामारी से बचाने की कवायद में जुटे हैं।

कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है लोगो को दो वक्त की रोटी घर पर ही नसीब हो रही है उनके पास कोई काम नहीं है। लॉकडाउन के समय जो लोग जहाँ थे वहीं रह गये किसी को भी कहीं आने-जाने की इजाजत नहीं थी। एक दो दिन सही रहा लेकिन प्रवासी मजदूरों और कर्मकारों को अपने गाँव परिवार एवं भविष्य की चिंता होने लगी । जो भी रुपया/ पैसा उनके पास था उससे कुछ दिनों तक अपना जीवन पालन करते रहे। जब रुपए पैसे की तंगी आने लगी, खाने-पीने की समस्याऐं होने लगी तो लोग जहाँ पर रह रहे थे अथवा कार्य कर रहे थे वहाँ से अपने घरो को लौटने लगे। घर लौटने की प्रवासी मजदूरों /कर्मकारो की मजबूरी कहे या सरकार की लचरता या उपेक्षा। इन मजदूरो की खाने पीने रहने की व्यवस्था संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकारें हर संभव प्रयास कर रही है। समाजसेवी लोगों सामाजिक संस्थाऐं इस महामारी में अपना अमूल्य योगदान दे रही है। कोरोना जैसी महामारी से देश और प्रदेश में डॉक्टर्स चिकित्सा स्टाफ, पुलिस, सेना के जवान, पत्रकार मीडियाकर्मी सामाजिक कार्यकर्ता अपने अपने साहस के साथ जुटे हुए है और कोरोना जैसी वैश्विक आपदा महामारी से निपटने में लोगो को बचाने का कार्य कर रहे है।

कोरोना महामारी वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगो को लॉकडाउन के नियमो का पालन कराने के लिए पुलिस विभाग के ऑफिसर /पुलिस कर्मी दिन रात अपने कार्य में लगे हुए है। पुलिस अपना कार्य बड़ी मुस्तैदी से करती है। पुलिस अपने कार्य के दौरान आम जनता की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने का प्रयास करती है। इस महामारी में समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी एक चुनौती है। पूरे देश में इस वैश्विक महामारी से बचने का प्रयास सभी लोग कर रहे है सभी को अपना जीवन बचाना है फिर भी पुलिस बल के जवान / अधिकारी अपने जीवन की परवाह किये बिना अपने वैधानिक कर्तव्यो की पूर्ति में लगे हुए है।

पुलिस का मुख्य कार्य अपराधो पर नियंत्रण करना और कानून वयवस्था बनाये रखना है। कोविड - 19 जैसी वैश्विक महामारी, जिसको कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपदा /वैश्विक महामारी घोषित किया गया है उससे सभी राष्ट्र देशो को मिलकर निपटना होगा।

महामारी से संबंधित विधिक उपबंध

भारत ने भी इस कोविड -19 महामारी को आपदा घोषित किया है। राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए भारत वर्ष में जो कानून है वह है **महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रवंधन अधिनियम 2005 , भारतीय दंड सहिता 1860** इत्यादि है।

जो लोग कोविड -19 महामारी से बचाव में अपना योगदान दे रहे है चाहे वह स्वास्थ्यकर्मी हो, पुलिस वाले हो, डॉक्टर्स हो, आवश्यक सेवाए प्रदान करने वाले हों या लोगो को भोजन व जरूरी सामान मुहैया करने वाले हों उनको हम कोरोना वॉरियर्स के नाम से पुकार रहे है जो इस महामारी में अपना योगदान दे रहे है। सभी लोगो का कही न कही योगदान कोविड-19 महामारी में रहा है। परन्तु पुलिस की कार्यकुशलता और उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। पुलिस के बारे में आम राय यह होती है कि वह अपने कार्य के प्रति सजग नहीं होते है आम लोगो के साथ सही तरह से सद्व्यवहार नहीं करते है इत्यादि बाते करते रहते है परन्तु इस वैश्विक महामारी में जिस तरह से पुलिस महकमे ने अपना योगदान दिया है वह सराहनीय है और उत्साह वर्धन करने वाला है। वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से आह्वान किया था कि जो लोग कोरोना महामारी में अपना योगदान दे रहे है जैसे पुलिस स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर्स सेना के जवान नर्सेस उनके उत्साहवर्धन में घंटी थाली शंख कटोरी चम्मच आदि बजाये जिससे उनका उत्साहवर्धन हो और मनोबल बना रहे। किसी के कार्य के प्रति उत्साहवर्धन निश्चित ही कार्य के प्रति कार्यकुशलत को दर्शाता है।

महामारी अधिनियम 1897 के तहत राज्य सरकार को महामारी से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। जिससे महामारी के प्रकोप या प्रसार को रोका जा सके। महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के अनुसार जब राज्य सरकार को किसी समय यह समाधान हो जाये की पूरे राज्य या किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है तब राज्य सरकार यदि यह समझती है कि मौजूदा कानून के साधारण उपबंध इसके लिए पर्याप्त नहीं है तो वह ऐसे उपाय कर सकती है या ऐसे उपाय करने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी। उसके लिए उसे सशक्त कर सकेगी और जनता द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा अनुपालन करने के लिए किसी सूचना

द्वारा ऐसे अस्थायी विनियम विहित कर सकेगी जिन्हें वह उस रोग के प्रकोप या प्रकार की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे तथा वह यह भी अवधारित कर सकेगी की उपगत व्यय इसके अंतर्गत प्रतिकार यदि कोई हो तो किस रीति से और किसके द्वारा चुकाए जाएगे। महामारी अधिनियम की धारा 2(b) में बताया गया है कि राज्य सरकार रेल या बंदरगाह या अन्य प्रकार से यात्रा करने वाले व्यक्तियो को जिनके बारे में निरीक्षक अधिकारी को आशंका है कि वह महामारी से ग्रस्त है तो उन्हें किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रखने का अधिकार होगा और यदि कोई संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी जांच भी निरीक्षक अधिकारी द्वारा करवायी जा सकती है।

महामारी अधिनियम के तहत न केवल राज्य सरकार अपितु केंद्र सरकार भी महामारी के प्रकोप या प्रसार को रोकने के लिए कदम उठा सकती है जिसमे किसी भी संभावित क्षेत्र में आने वाले किसी व्यक्ति जहाज का निरीक्षण भी कर सकती है।

यदि कोई व्यक्ति राज्य /केंद्र सरकार के आदेश जो महामारी के प्रकोप या प्रसार को रोकने के लिए जारी किया गया है नहीं मानता है तो वह अपराध होगा और इसके लिए वह भारतीय दंड सहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जा सकता है। (धारा 3) वह व्यक्ति जो महामारी के प्रकोप या प्रसार को रोकने के लिए सकारात्मक कार्य या योगदान दे रहा है उसको दंडित नहीं किया जायेगा।

महामारी अधिनियम के तहत राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार कोरोना महामारी के प्रकोप या प्रसार को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की थी जिससे कि इस महामारी के प्रकोप या प्रसार को रोका जा सके लेकिन सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को आम जनता सही तरीके से पालन नहीं कर रही है। जो लोग कोरोना महामारी से संक्रमित है उनकी जाँच करना तथा उसको अन्य लोगो से दूर रखना जरूरी है सरकार ऐसा कर रही है परन्तु जो लोग इस कार्य में लगे हुये है जैसे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नर्सेस पुलिस के जवान डॉक्टर्स आदि लोग उन्ही के ऊपर दुर्वयवहार किया जा रहा है। एक तरफ वह लोग आम जनता को महामारी के प्रकोप से लोगो को बचाने का प्रयास कर रहे है तो दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों द्वारा उन्ही के साथ दुर्वयवहार हिंसा हमला मारपीट धक्का मुक्की की घटनाये शोभनीय नहीं है। डॉक्टर्स पुलिस के जवान नर्सेस पैथोलोजिस्ट सफाई कर्मचारी जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश सेवा में लगे हुए है और कोरोना जैसी महामारी से लोगो को बचाने का प्रयास कर रहे है उनके साथ हिंसापूर्ण वर्ताव उचित प्रतीत नहीं होता है।

कोरोना महामारी के प्रसार एवं प्रकोप को रोकने में कोरोना वायरस से संक्रमित पुलिस जवान जो जुनी इंदौर के थाने में पदस्थ थाना प्रभारी देवेन्द्र चंद्रवंशी की दुखद मृत्यु हो गयी। इंदौर शेत्र में पुलिस जवान अभी अपने थाना प्रभारी की मृत्यु से उबर पाते तभी उज्जैन के नीलगंगा थाना में पदस्थ टी आई यशवंत पाल की भी इंदौर में उपचार के दौरान दुखद मृत्यु हो गयी। दोनों पुलिस कर्मी कोरोना महामारी के प्रसार एवं प्रकोप को रोकने में लगे हुए थे और लोगो की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। पुलिस का कार्य कानून व्यवस्था बनाये रखना है। इस कोरोना महामारी के दौर में पुलिस के जवान दिन रात मेहनत कर रहे है। यदि हम मानवीय दृष्टिकोण से उनकी तरफ देखे तो महसूस करेगे की जितना त्याग बलिदान और कर्मठता से वह अपना योगदान दे रहे है वह प्रशंसनीय है। थोड़ी बहुत कमियां सभी जगह रहती है वह कमी ज्यादा मायने नहीं रखती है।

हम भारत के नागरिकों को अपने कर्तव्यो का वहन होना चाहिए की हमें कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से किस तरह का व्यवहार एवं कार्य करना चाहिए अपने कर्तव्यो से कभी विचलित नहीं होना चाहिए इस कोरोना महामारी में पंजाब शहर में पुलिस सब इंस्पेक्टर को अपने कार्य के दौरान सिख धर्म को

मानने वाले निहंग ने इंस्पेक्टर की हाथ की कलाई को तलवार से काट दिया जब उनको कार से जाने के लिए इंस्पेक्टर ने टोका था। इंस्पेक्टर को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराकर बचा लिया गया। इस तरह की घटनाये पुलिस जवानों को उनके कार्य के प्रति निरासा उत्पन करती है एवं कठोर होने को विवश करती है।

हमारे पुलिस के जवान पुलिस अधिकारी दिन रात इस वैश्विक महामारी में कानून वयवस्था बनाये रखने के साथ साथ आम जनता के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हुए हर संभव सहायता कर रहे है। बच्चे महिलाओ बूढ़े लोगो तथा प्रवासी मजदूरों जो कि एक प्रदेश से दुसरे प्रदेश में अपने घर को पैदल जा रहे है उनके खाने पीने की वयवस्था भी कर रहे है।

हालांकि इन लोगो को कही भी आने जाने की मनाही है फिर भी लोगो का आवागमन जारी है। पुलिस बल लॉकडाउन के निर्देश नियमो का पालन करने के लिए कहती है लेकिन जनता पुलिस बालो की बात को नजरंदाज कर देती है। पुलिस भी जहा तक संभव हो पाता है जनता का साथ देती है परन्तु पुलिस को कानून वयवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है अतः उनको कभी कभी सख्त भी होना पड़ता है। पुलिस जब सख्त होती है तो आम जनता कहती है की पुलिस हमारे साथ मारपीट करती, अवैध तरीके से पैसे वसूलती है और हिंसा का प्रयोग करती है.

कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार यथा संभव प्रयास कर रही है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी क़र रही है। जो लोग इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगे उनको दंडित किया जायेगा। दिशा निर्देश के अपालन के लिए **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005** के तहत कार्यवाही की जाएगी साथ ही साथ भारतीय दंड सहिता के तहत भी दंडित किया जायेगा।

भारतीय दंड सहित की धारा 269 के तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जायेगा जो कोई ऐसा कार्य करता है जिससे समाज में संक्रामक रोगों का फैलाव संभाव्य है। जबकि व्यक्ति को यह ज्ञात है कि उसके कार्य से संक्रामक रोग का फैलाव संभाव्य है। वह किसी भी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि छ: मास तक की हो सकती और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा

भारतीय दंड संहिता की धारा 270 में ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जायेगा जो परिद्वेष पूर्ण ऐसा कार्य करेगा जिससे कि वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता है कि जीवन के लिए सकंटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य है। वह किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधी दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा।

धारा 269 और 270 के तहत संक्रामक रोग को फैलाने का या जानबुझकर परिद्वेषपूर्ण संक्रामक रोग फैलाता है उसको दंडित करने का उपबंधित किया गया है।

धारा 188 में लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से घोषित / प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करने को दंडनीय बनाया गया है. जो कोई भी लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करेगा ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्ही व्यक्तियों को बाधा क्षोभ या क्षति अथवा बाधा क्षोभ या क्षति की जोखिम कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति की हो तो वह व्यक्ति सदा कारावास से जिसकी अवधी एक मास तक की हो सकती या जुर्माने से जो दो सो रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जायेगा। यदि ऐसे प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा मानव जीवन स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित करे या कारित करने की पप्रवृत्ति रखता हो या बलवा या दंगा कारित करता हो या कारित करने की प्रवृत्ति रखता हो तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी आवधि छ: मास तक की हो सकती है या जुर्माने से जो एक हज़ार

रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जायेगा। इस धारा के तहत व्यक्ति तभी दंडनीय है जब आदेश को जानते हुए अवज्ञा करता है जिससे क्षोभ या क्षति कारित होती है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लॉकडाउन का पालन करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है यदि जानबुझकर पालन नहीं करते तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। समय समय पर गृह मन्त्रालय दिशा निर्देश जारी करता रहता है। इस अधिनियम की धारा 51 से 60 तक में प्रावधान है कि यदि कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसको दंडित किया जा सकता है। **धारा 51 में बाधा पहुंचाने के लिए सजा की जा सकती है** इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा संबंधित प्राधिकरण के निर्देशों का पालन नहीं करेगे या केंद्र या राज्य या अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालने की कोशिश करेगे उन्हें एक साल या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

धारा 52 झूठे दावे के लिए सजा यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए झूठा दावा करता है तो उसे अधिकतम दो साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

धारा 53 धन या सामग्री का गबन यदि कोई व्यक्ति आपदा के लिए आये धन अथवा किसी सामग्री का गबन करता है तो अधिकतम दो साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।

धारा 54 झूठी चेतावानी देना यदि कोई व्यक्ति आपदा से जुडी किसी असत्य चेतावनी को फैलाता है तो उसे एक साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।

धारा 55 सरकारी विभाग द्वारा अपराध यदि किसी सरकारी विभाग द्वारा अपराध होता है तो उस विभाग के प्रमुख को दोषी माना जायेगा और उसके खिलाफ कार्यवाही होगी यदि वो यह साबित नहीं कर देता की वह अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है और इसमें उसका कोई योगदान नहीं है।

धारा 56 दायित्व निभाने में विफल या अधिनियम के उल्घंन पर मिलीभगत करने पर यदि किसी अधिकारी द्वारा अपनी डयूटी सही ढंग से नहीं निभा पाया या फिर खुद को इससे अलग कर लेता है तो उसे एक साल या फिर जुर्माना किया जा सकता है।

धारा 57 आवश्यकता सम्बन्धी आदेशो का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के तहत दिए गए आदेशो की अवहेलना करता है तो उसे अधिकतम एक साल की जेल अथवा जुर्माने की सजा हो सकती है।

धारा 58 कम्पनी द्वारा अपराध यदि किसी कंपनी द्वारा अपराध होता है तो कंपनी के प्रत्येक सदस्य जिसने अपराध किया है जिसके पास उस वक्त जिम्मेदारी थी इसके लिए जिम्मेदार समझे जायेगे। साथ ही उन पर मामला चलाया जायेगा।

धारा 59 अभियोजन के लिए पिछली मंजूरी इस अधिनियम की धारा 55 और 56 के तहत अपराधो के लिए अभियोग नहीं लगाया जायेगा।

धारा 60 अपराधों का संज्ञान कोई भी कोर्ट इस अधिनियम के तहत की गई शिकायत के अलावा किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी हालांकि यह कुछ बातो पर निर्भर करता है।

कोरोना महामारी से मानव सेहत के लिए संकट से जुड़े हुए डॉक्टर्स स्वास्थ्यकर्मी पुलिस पर हमले के साथ-साथ उनसे बुरा बर्ताव किया जा रहा है या हो रहा है वह घोर निंदनीय है। इन घटनाओ को देखते हुए कानूनी प्रावधानों को सख्त करने की जरूरत महसूस हुई तो केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया और अध्यादेश राष्ट्रपति की स्वीकृति से लागू भी हो गया। संशोधन के द्वारा महामारी अधिनियम में चिकित्सकों को और स्वास्थ्यकर्मी पर हमले के दोषियों के खिलाफ सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगो को सबक तभी मिलेगा जब उनके दुराचार पूर्वक कार्य के लिए कठोर दंड से दंडित किया जायेगा

निष्कर्ष

समाज में एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जिससे डॉक्टर्स स्वास्थ्यकर्मी सफाईकर्मी पुलिस के खिलाफ हिंसा और अभद्रता कर रहे तत्व भय खाए और दूसरे भी डरे। ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब सभी राज्य सरकारे ऐसे अपराधी प्रवृति के तत्वों के खिलाफ कठोर एवं सख्त करवाई करे एवं सतर्क रहे। सरकार को सख्त कार्रवाई कर ऐसा सन्देश देना होगा कि पुलिस, डॉक्टर्स, सफाईकर्मी पर हुए हमले को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

कोरोना महामारी की जंग में असहयोग की भावना पाले हुए और अभद्रता करने वाले लोगो का मनोबल दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वह कानून व्यवस्था बचाने की जिम्मेदारी रखने वाले पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे है। ऐसे लोग पुलिस पर तब तक हमला कर रहे है जब वह जनता की मदद करने के लिए उनकी तरफ पहुच रहे है। इंदौर मुरादाबाद चंडीगढ़ के साथ अन्य शहरो में पुलिस पर हमले की घटनाओ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस तरह की घटनाओ को रोकना ही होगा इस तरह की घटनाये कानूनी शासन पर आघात है। पुलिस को निशाना बनाने से कानून के शासन को चुनौती देने जैसा है। अत: इस प्रकार की घटनाओ को रोकना होगा

संदर्भ सूची

1. दैनिक भास्कर समाचार पत्र
2. दैनिक जागरण समाचार पत्र
3. महामारी अधिनियम, 1897
4. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
5. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
6. https://navbharattimes.indiatimes.com/world/america/covid-19-where-did-the-coronavirus-come-from-in-the-world-usa-scientists-got-evidence-of-connection/articleshow/75316684.cms
7. https://www.jansatta.com/health-news-hindi/where-did-the-coronavirus-come-from-and-what-is-its-symptoms/1299821/
   https://www.bbc.com/hindi/india-51308206